न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 09/2018

प्रार्थी–

लक्ष्मणराम डांगी पुत्र लुम्बाराम
जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत मोतीसरा जरिये सरपंच
2. सांवलराम पुत्र डूंगरजी जाति मेघवाल निवासी मोतीसरा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.01.2003 जो अप्रार्थी सं. 2 सांवलराम के नाम ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री लक्ष्मणराम प्रार्थी स्वंय उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 26/11/2019

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 सांवलराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम मोतीसरा मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. 9 दिनांक 25.01.2003 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 25 गुणा 204 फीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी की ओर से स्वंय उपस्थित होकर निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों की पालना किये बिना ही जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है साथ ही अप्रार्थी सं. 2 का मात्र 20 गुणा 167 फुट भूमि पर ही कब्जा एवं रहवास था लेकिन अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के कब्जे की भूमि एवं आम रास्ते की भूमि को सम्मिलित कर अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे 25 गुणा 205 फीट का आलौच्य पट्टा जारी कर दिया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145, 146, 147, 148, 149 व 157 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया हैं तथा कोई पत्रावली रेकर्ड में नही हैं। अप्रार्थी सं. 2 से नियम 145 के तहत कोई प्रार्थना पत्र नही लिया और न ही प्रार्थना पत्र किसी रजिस्टर मे दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र के लिये कोई शुल्क, नक्शा शुल्क भी नही ली गई और न ही मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। आम सूचना जारी कर कोई आपत्तियां आमंत्रित नही की गई तथा न ही पंचायत की बैठक मे प्रस्ताव रखकर उसका अनुमोदन कराया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत पट्टा जारी करने मे किसी भी नियम की पालना नही की गई है। आलौच्य पट्टा विलेख पर केवल सरपंच के हस्ताक्षर अंकित हैं तथा उस पर न तो ग्रामसेवक के हस्ताक्षर हैं और न ही यह पट्टा ग्रामसेवक द्वारा प्रमाणित हैं। इस आधार पर आलौच्य पट्टा विलेख सं. 9 खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि आलौच्य पट्टा विलेख ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा जिस स्थान का जारी किया गया हैं उसके पास ही प्रार्थी का पुश्तैनी एवं कब्जाशुदा मकान होने के कारण आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना था लेकिन

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जानबूझकर अप्रार्थी सं. 2 से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि हड़प करने के उद्देश्य से प्रार्थी की भूमि को सम्मिलित करते हुए आलौच्य पट्टा जारी कर दिया हैं। आलौच्य पट्टा जारी होने की जानकारी प्रार्थी को तत्समय नहीं हुई क्योंकि मौके पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा एवं रहवास था तथा अप्रार्थी सं. 2 द्वारा कब्जे में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं की लेकिन अर्सा पूर्व अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रार्थी के कब्जे वाली भूमि मे नीवें खोदने हेतु मजदूरों को लाकर मौका दिखाया तब प्रार्थी द्वारा मना किया तथा गांव के मौजीज लोगों से समझाईश करवाई तब अप्रार्थी सं. 2 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी होने की बात बताई जिस पर उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 07.06.2018 को पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, तब प्रार्थी को सर्वप्रथम आलौच्य पट्टा की जानकारी हुई, ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई हैं। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जा शुदा एवं रहवासी भूमि एवं आम गली का पट्टा अप्रार्थी सं. 2 के हक में जारी करने का क्षेत्राधिकार नही हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आलौच्य पट्टा सं. 9 दिनांक 25.01.2003 को निरस्त फरमाया जावें।

4. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी किया गया पट्टा संख्या 9 दिनांक 25.01.2003 पूर्णतया विधि सम्मत है जो राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे बताये गये नियमो की पालना करते हुए जारी किया गया है। विवादित आवासीय भूमि ग्राम पंचायत मोतीसरा की आबादी भूमि थी जिस पर अप्रार्थी सं. 2 को आवासीय पुराना कब्जा होने से ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा विलेख जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने पुराने कब्जा शुदा आवासीय प्लॉट का पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया था जिस पर विधि सम्मत नियमों की पालना करते हुए दिनांक 25.01.2003 को पट्टा जारी किया है, जिसे तत्कालीन सरपंच पोलाराम द्वारा स्वंय उप पंजियक सिवाना के समक्ष

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपस्थित होकर पंजिबद्ध करवाया गया हैं, प्रार्थी ने न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत एवं निराधार तथ्य प्रस्तुत किये है। अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित पत्रावली नियमानुसार संधारित की गई हैं तथा यदि अब वह ग्राम पंचायत के अभिलेख में नहीं पाई गई हैं तो इसका खामियाजा अप्रार्थी सं. 2 पर नहीं डाला जा सकता हैं तथा केवल मात्र पत्रावली नहीं मिलने से सम्पूर्ण कार्यवाही को अमान्य किया जाना कतई विधि संगत नही हैं। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र गलत, निराधार एवं विधि विरूद्ध होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर प्रकट किया कि वह सरकारी नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था इसका फायदा उठाकर प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे वाली भूमि का गलत पट्टा अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मोतीसरा से जारी करवा लिया तथा उक्त पट्टा विलेख जारी करने मे राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नही की गई है। अप्रार्थी सं. 2 का मौके पर कब्जे से अधिक भूमि का पट्टा जारी कर दिया हैं जिसमे प्रार्थी की कब्जे वाली भूमि भी सम्मिलित कर दी हैं। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि ग्रामसेवक ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 16.07.2018 द्वारा प्रकट किया हैं कि आलौच्य पट्टा विलेख सं. 9 दिनांक 25.01.2003 से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नही हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आलौच्य पट्टा की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से पाया जाता हैं कि उक्त पट्टा नियम 158 के तहत जारी किया गया हैं। इस पट्टे के बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत की जांच एवं पडौसियान के बयानों से पाया गया हैं कि पट्टा अधीन समस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा नही हैं तथा कम भू–भाग पर हैं। मौके पर उपस्थित पडौसियान ने यह भी प्रकट किया हैं कि प्रार्थी की अनुपास्थिति में रास्ता बंद किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में यह आवंटन नियम 158 में किया गया है जिसके तहत नियमानसार 300 वर्गगज से अधिक भूखण्ड नहीं दिया

जिला कलक्टर
बाड़मेर

जा सकता हैं जबकि आलौच्य पट्टा 25 गुणा 204 फीट अर्थात् कुल क्षेत्रफल 566.66 वर्गगज का जारी किया गया हैं जो स्पष्टतः नियम विरूद्ध हैं। यद्यपि अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली की अनुपलब्धता के कारण आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित कार्यवाही का परीक्षण किया जाना संभव नही हैं किन्तु आलौच्य पट्टा, प्रार्थी की शिकायत पर हुई जांच की रिपोर्ट, पडौसियान के बयान एवं मौका कब्जा की वस्तुस्थिति से ही भली–भाँति साबित हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य पट्टा सं. 9 दिनांक 25.01.2003 अवैध रूप से बिना कब्जा की जांच, बिना नियमों का परीक्षण किये अनियमित एवं पत्रावली का संधारण किये बिना अपूर्ण कार्यवाही के तहत जारी किया गया हैं जो जांच के तीनों बिन्दुओं की कसौटी पर बहाल रखे जाने योग्य नही होने से खारिज किया जाना विधि अनुकूल उचित हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत मोतीसरा द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 9 दिनांक 25.01.2003 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत मोतीसरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के स्वामित्व एवं कब्जा का पुनः परीक्षण करते हुए एवं उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही नये सिरे से सम्पादित करें।

7. निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2019.11.28 18:36:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: